2018 का विधेयक संख्यांक 145

[दि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंटमेंट) बिल, 2018 का हिंदी अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- 2017 का 14

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा, जब केंद्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का बकाया एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है ;";

धारा 9क और धारा 9ख का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग ।

"9क. धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा जब ऐसे संदाय के लिए एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले उपयोग कर लिया गया हो ।

इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम ।

9ख. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 9 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे किसी कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम और रीति विहित कर सकेगी ।"।

उदेश्यों और कारणों का कथन

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरा-राज्य प्रदाय पर कर के उदग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

2. यह अधिनियम नई माल और सेवा कर व्यवस्था में विद्यमान करदाताओं के सहज परिवर्तन हेतु कतिपय उपबंधों के लिए उपबंध करता है। तथापि, नई कर व्यवस्था में ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कराधेय माल या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित विषयों के संबंध में तथा एकीकृत कर के संदाय के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग में कतिपय निर्बंधनों के कारण कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा विधि के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए, कारबार करने की सुगमता को बेहतर करने तथा अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(i) अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करना जिससे अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से कतिपय विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय की प्राप्ति के संबंध में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाया जा सके ;

(ii) अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा, जब केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का बकाया एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं हो ; और

(iii) "इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग" और "इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम" से संबंधित नई धारा 9क और धारा 9ख का अंतःस्थापन।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2018

पीयूष गोयल

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक का उपबंध कारबार करने की सुगमता, स्वैच्छिक कर अनुपालन के साथ-साथ कर राजस्व को बेहतर बनाएगा । विधेयक के अधीन विभिन्न कृत्यों को कार्यान्वित करने में अंतर्वलित आवर्ती और अनावर्ती व्यय के निबंधनों के अनुसार कुल वित्तीय विवक्षा, केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, इस प्रक्रम पर भारत की संचित निधि से निश्चित आवर्ती और अनावर्ती व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

वे विषय, जिनके संबंध में इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

उदग्रहण और संग्रहण ।

7. (1) * * * * *

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र कर का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जो ऐसे प्राप्तकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानों वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है ।

* * * * * *

अध्याय 4

कर का संदाय

कर का संदाय ।

9. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में—

* * * * * *

(ख) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग प्रथमतया संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा ;

* * * * * *

MGIPMRND—1406LS(CRC)—6-8-2018.